

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0)

न्यायालय संख्या-9, गाजियाबाद

सम्मन वास्ते करावाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय नवम् अपर सिविल जज, प्रवर खण्ड, गाजियाबाद

मूल वाद संख्या 712 सन् 2017

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास पथ, हापुड़ रोड, गाजियाबाद द्वारा श्री दीनानाथ, अनुसचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

.....वादी।

बनाम

1. श्रीमति कमला भाटिया पत्नी श्री आर0सी0 भाटिया, निवासी सी-3/3413, जनकपुरी, नई देहली-110058।
2. श्री शंकर लाल पुत्र श्री सुखराम, निवासी सी-56, गोविन्दपुरम, गाजियाबाद, तहसील व जिला गाजियाबाद।

.....प्रतिवादीगण

हरगाह वादी ने आपके नाम एक नालिश बाबत कराने निरस्तीकरण विक्रय पत्र दिनांक 12-06-07 के दायर की है, लिहाजा आपको हुकम होता है कि आप बतारीख 30 माह 08 सन् 2019 बवक्त 10:00 बजे दिन के असालतन या मार्फत वकील के जो मुकदमें के हालात से करार वाकई वाफिक किया गया हो और कुल उमूरात अहम मुतल्लिका मुकदमा का जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और शख्स हो कि जो जवाब ऐसे सवालात दे सकें, हाजिर हो और जनबा देही दावा की करें और आपका लाजिम है कि उसी रोज अपने जुमला दस्तावेज पेश करें, जिन पर आप बताईद आनी जवाबदेही के इस्तदमाल करना चाहते हों।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आप मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 07 माह 08 सन् 19 ई0 जारी किया गया।

इत्तिला

1. अगर आपको यह सन्देश हो कि आपके गवाह मर्जी से हाजिर न होंगे, तो वह अदालत हाजा से सम्मन बई मुराद जारी करा सकते हैं कि जो गवाह हाजिर न हो वह जबरन हाजिर कराया जायें और जिस दस्तावेज को किसी गवाह हाजिर से पेश कराने का आप इत्तेहफाक रखते है, वह उसे पेश कराई जायें, बशर्ते कि आप खर्चा जरूरी अदालत में दाखिल करके, इस उम्र की दरखवास्त गुजरायें।
2. अगर आज मुतालबा मुद्दई को तसलीम करते हैं, तो रुपया मय खर्चा नालिश अदालत में दाखिल करें, ताकि कार्यवाही इजराय डिग्री की, जो आपकी जान या माल दोनों पर हो, करना न पड़े।

आज्ञा से मुन्सरिम,

अपर सिविल जज (सी0डि0)

न्यायालय संख्या-9, गाजियाबाद